



प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI - 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 13.11.2025

सार्वजनिक सूचना संख्या- 57/2025

विषय: अधिसूचना संख्या 50/2017 दिनांक 30.06.2017 क्र.सं. 550 एवं 45/2025 दिनांक 24.10.2025, क्र.सं. 352 से जुड़े बोनड को रद्द करना और आयात का खाता प्रस्तुत करना।

सभी संबंधित आयातकों का ध्यान वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 एवं 45/2025-सीमाशुल्क दिनांक 24.10.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017, क्र.सं. 550 एवं अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमाशुल्क दिनांक 24.10.2025, क्र.सं. 352 (शर्त संख्या क्रमशः 83 और 50) के द्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के "89 या किसी अध्याय" के भीतर आने वाले "भारत में पंजीकृत महासागर जाने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियों" विवरण के सामान पर लगाए जाने वाले पूरे बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट दी, जो अन्य बातों के साथ-साथ आयातकों को समुद्र में जाने वाले जहाज की मरम्मत के उद्देश्य से आयातित निर्दिष्ट माल के आयात, उपयोग और खपत का उचित खाता बनाए रखने के लिए अनिवार्य करता है और इस तरह के खाते को समय-समय पर सीमा शुल्क आयुक्त को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करता है जैसा कि उक्त आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

3. संबंधित आयातकों को समुद्र में जाने वाले जहाज की मरम्मत के उद्देश्य से आयातित निर्दिष्ट माल के आयात, उपयोग और खपत का उचित खाता नीचे निर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है:

क्र.सं.	प्रवेश का बिल	तारीख	आयात क	माल का विवरण	मूल्यांकन मूल्य	छोड़ी गई शुल्क राशि	मात्रा आयातित	मात्रा. उपयोग किया गया	पोत विवरण (अंतिम उपयोग/उपभोग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

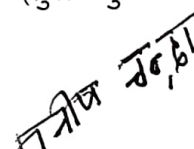
ऊपर दी गई तालिका के कॉलम (10) में पोत और फिटमेंट विवरण इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध-'क' के अनुसार होना चाहिए जो की सभी महासागर जाने वाले जहाजों, पनडुब्बियों सहित सभी प्रकार के युद्धपोतों को छोड़कर, के लिए लागू होगा।

एक वित्तीय वर्ष के प्रवेश के सभी बिलों का खाता अगले वित्तीय वर्ष के 31st अप्रैल यानी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से एक महीने के भीतर तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संबंधित आयातक निर्दिष्ट विवरण के अलावा आयात के अपने खाते में रखे गए अतिरिक्त विवरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. इसके अलावा, उन मामलों के लिए जहां आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं, संबंधित आयातकों को आयात के एक वर्ष के भीतर (प्रवेश बिल तारीख से) बांड रद्द करने के लिए उपरोक्त पैरा 3 में संदर्भित फॉर्म के अनुबंध-'क' के अनुसार पोत मुख्य अभियंता और पोत मास्टर से पृष्ठांकित फिटमेंट प्रमाण पत्र सहित शर्त की पूर्ति के साक्ष्य वाले सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

आयात के उपरोक्त खाते के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 और पहले के वित्तीय वर्षों के आयात के लिए शर्त की पूर्ति का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों को 31.12.2025 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इस सार्वजनिक नोटिस के कार्यान्वयन में कठिनाइयों, यदि कोई हो, को अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क, तकनीकी (आयात), एसीसी, मुंबई (ईमेल-pro.acc-sahar@gov.in) के ध्यान में लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण और जानकारी के लिए, संबंधित आयातक ईमेल-tsk.accmumbaizone3@gov.in/tel-022-26816696 पर टीएसके (तुरंत सुविधा केंद्र) में हमारे हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।


(मनीष चन्द्रा)

प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात)
हवाईमाल परिसर, मुंबई।

संलग्नक: अनुबंध-'क'

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III, मुंबई।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य एवं निर्यात), एसीसी, मुंबई।
3. सभी अपर/संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एसीसी, मुंबई।

4. सभी अपर/संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य एवं निर्यात), एसीसी, मुंबई।
5. सभी उप/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य, आयात एवं निर्यात), एसीसी, मुंबई।
6. व्यापार संघ
7. सीबी संघ (बीसीबीए)
8. एमआईएल/एयर इंडिया
9. ईडीआई अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन हेतु)
10. कार्यालय प्रतिलिपि

अनुबंध- 'क'
पोत विवरण और फिटमेंट प्रमाणपत्र

- i) पोत का नाम
- ii) आधिकारिक संख्या
- iii) रजिस्ट्री का बंदरगाह
- iv) आईएमओ नंबर
- v) कॉल साइन
- vi) एमएमएसआई नंबर
- vii) पंजीकृत मालिक
- viii) सकल टन भार
- ix) नेट टन भार
- x) वर्ष निर्मित
- xi) शिपयार्ड, जहां बनाया गया है
- xii) मरम्मत के लिए आयातित स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियों का विवरण और उनके फिटेशन की तारीख।

प्रमाणित किया गया
पोत मुख्य अभियंता

प्रमाणित किया गया
पोत मास्टर